न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

...स्व वाद संख्या :– 396 / 2024

सांवत पुत्र श्री मेघा जाति जाट निवासी ग्राम भोडकी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– वादी

बनाम

1. सुमेर पुत्र हरचन्द (फौत)
   1/1. श्रीमति हरप्यारी पत्नी सुमेर
   1/2. अर्चना पुत्री सुमेर
   1/3. आनन्द पुत्र सुमेर
2. विद्याधर पुत्र हरचन्द
3. इन्द्राज पुत्र हरचन्द
4. मनोज पुत्र हरचन्द
5. विमला पुत्री हरचन्द
6. मोहिनी पुत्री हरचन्द

   समस्त जातिगण जाट निवासीगण बड़ापाना भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
7. भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन

...कील वादी :– एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार वर्मा

...कील प्रतिवादी :– एडवोकेट कमल कुल्हरी व एडवोकेट ईश्वर सिंह

निर्णय दिनांक 11/03/26

संक्षेप में वादी ने इस आशय से वादपत्र पेश किया है कि राजस्व ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खसरा 17 रकबा 2.4000 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.8800 है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.5700 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.8500 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.8000 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है। रिकॉर्ड में वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 के पिता हरचन्द पुत्र मेघा का नाम दर्शित हो रहा है जबकि वादग्रस्त भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार हरचन्द पुत्र मेघा फौत हो चका है तथा हरचन्द पुत्र मेघा की पत्नी पतासी देवी भी फौत हो चकी है। वादग्रस्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि में कोई आवश्यक सुधार करने होते हैं परन्तु अविभाजित भूमि होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि आवश्यक सुधार नहीं कर पाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 भी अनावश्यक रूप से वादी को अपने हक हिस्से की भूमि में आवश्यक सुधार करने से रोकते हैं। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि तहसील में चलकर भूमि का बंटवारा कर लो लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 हां करते रहे। दिनांक 12.07.2023 को वादी अपने हक हिस्से की

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

भूमि पर आवश्यक सुधार रहा था तो समस्त प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के हिस्से की भूमि पर सुधार करने से रोक दिया। वादी ने पुनः विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन दिनांक 15.07.2023 को प्रतिवादीगण विभाजन करवाने से साफ इंकार हो गये। इसलिए यह दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 21.04.2025 को वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2821 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्राज की ओर से जरिये अधिवक्ता एतराज विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। अप्रार्थी/वादी ने जबाव न देकर सीधे प्रार्थना पत्र एतराज विभाजन प्रस्ताव पर बहस करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र बहस श्रवण की गई। बहस श्रवण उपरान्त प्रार्थना पत्र एतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। बहस उभयपक्ष श्रवण की गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खसरा 17 रकबा 2.4000 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.8800 है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.5700 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.8500 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.8000 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2821 दिनांक 24.09.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान सांवल बनाम सुमेर वगैरह

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 396/2024

निर्णय दिनांक : 11/03/26

वकील पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 11/03/26 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खसरा 17 रकबा 2. 4000 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.8800 है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.5700 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.8500 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.8000 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2821 दिनांक 24.09.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें।

पर्चा डिक्री आंज दिनांक 11/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)